संशोधन - संलग्न

संख्या – 1161/5–9–08–9(113) /05

प्रेषक,

राजीव कपूर

सचिव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,

राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,

परिवार कल्याण महानिदेशालय

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक: 5 मई 2008

विषय : जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय को मान्यता देने के सम्बन्ध में – संशोधन।

महोदय,

1. शासनादेश संख्या 3667/5–9–08–9(113) /05, दिनांक 5 मार्च 2008 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता देने के सम्बन्ध में विस्तृत मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। कतिपय जनपदों से इस सम्बन्ध में पृच्छाएं की गई हैं। समुचित विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता देने हेतु उक्त शासनादेश के एनेक्सर–1 में निम्न संशोधन किये जा रहे हैं :

(अ) तालिका–1 में मेडिकल/पैरा मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में यदि निजी नर्सिंग होम में एम0एस0/डी0जी0ओ0 क्वालिफिकेशन प्राप्त चिकित्सक नियमित रूप से कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसी दशा में उपरोक्त अर्हता रखने वाले किसी चिकित्सक की आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुबन्ध होने पर मान्यता के लिए पर्याप्त माना जायेगा।

(ब) तालिका–3 में आपरेशन थियेटर में आवश्यक सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दो सक्शन एपेरेटस में एक का मैनुअल होना आवश्यक है।

(स) तालिका–3.1 में बॉयल एपेरेटस की न्यूनतम संख्या 2 की अपेक्षा एक निर्धारित की जाती है।

(द) तालिका–4 में लेबर रूम में न्यूनतम सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जो आईटम ओ0टी0 में उपलब्ध हैं उनका अलग से लेबर रूम में होना आवश्यक नहीं है।

(य) तालिका–4.1 में टॉवेल ट्रौली का प्राविधान हटाया जा रहा है। इसके साथ ही कैरेज ट्राली के सम्बन्ध में जो साईज निर्धारित किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन भी अनुमन्य हो सकता है।

(र) तालिका–7 में आटोक्लेव ड्रम्स की न्यूनतम संख्या दो छोटे, दो मध्यम एवं दो बड़े साइज की निर्धारित की जाती है।

(ल) तालिका–8 में इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रैक्टिसेज के मानक निर्धारित किये गये हैं। यह सम्भव है कि प्रत्येक नर्सिंग होम में इन्सिनरेटर की व्यवस्था न हो। ऐसी दशा में जिन वेस्ट आईटम्स को जलाने का प्राविधान है, उनके लिए अलग स्थान पर एक ड्रम में जलाने की व्यवस्था यदि सुनिश्चित की गई है, तो वर्तमान दशा में उसे पर्याप्त माना जायेगा। उल्लेखनीय है कि यू0पी0एच0एस0डी0सी0 द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निजी क्षेत्र के माध्यम से हास्पिटल वेस्ट डिस्पोजल प्रकिया के अन्तर्गत इन्सिनरेटर आदि की व्यवस्था की गई है। कालान्तर में यह उचित होगा कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय उन संस्थाओं से सम्पर्क कर यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें जिससे हास्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार हो सके।

(व) तालिका–9 में एम्बुलेंस व्यवस्था का उल्लेख है। यदि नर्सिंग होम के पास स्वयं की एम्बुलेंस नहीं है तो ऐसी दशा में अनुबन्ध के आधार पर आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था को पर्याप्त माना जायेगा।

(स) तालिका–11 में सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था एवं जनरेटर/इन्वर्टर की व्यवस्था को निर्धारित किया जाना उचित होगा।

2. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता देने के लिए शासनादेश संख्या – 3667/5–9–08–9(113) /05, दिनांक 5 मार्च 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजीव कपूर)
सचिव

संख्या –1160(2)/5–9–08–9(113) /05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– सचिव, समेकित बाल विकास परियोजना, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

8– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0

9– निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

10– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

11– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

13– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

14– गार्ड फाईल।

(ओम प्रकाश)
उप सचिव